राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	851/2025	सविता	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री संदीप गर्सा
2.	852/2025	मीरा कुमारी	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	
3.	853/2025	अनिता	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित तीनों अपीलों में आलोच्य आदेशों को समान आधार पर चुनौती दी गयी है। अतः तीनों अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–851/2025 सविता बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र लालोडा, खेतड़ी, झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण उप स्वास्थ्य केन्द्र लोदियाणा, आमेट, राजसमंद में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में निम्न शर्त अंकित है :–

> *"मंत्रिमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(1 एमएम)/2018 जयपुर, दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकि. एवं स्वा. विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है।"*

5. अतः हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 851/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष